

न्यायालय-मधुसूदन जंघोल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क्र0:-906 / 2015
संस्थित दिनांक:-23.09.2015
फाईलिंग नं.234503010312015

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र परसवाड़ा जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

!! विरुद्ध !!

कारुदास भीमटे पिता लक्ष्मीचंद भीमटे, उम्र-46 साल,
जाति महार, निवासी वार्ड नंबर 06 बालाघाट नेत्र सहायक
सी.एच.सी. परसवाड़ा (म0प्र0)

.....आरोपी

—::— निर्णय —::—
(दिनांक 07/05/2018 को घोषित किया गया)

1. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 19.08.2015 को समय 1:30 बजे स्थान शासकीय अस्पताल परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान में फरियादिया श्रीमति सरोज ठाकुर को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी सरोजबाई को बांये गाल एवं पीठ पर दो-चार तमाचे मारकर स्वेच्छया उपहति कारित करने, फरियादी सरोजबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, इस प्रकार धारा-294, 323, 506(भाग-2) भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।
2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि फरियादी सरोजबाई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में बी.ई.ई. के पद पर पदस्थ थी। घटना दिनांक 19.08.2015 को फरियादी सी.एच.सी. परसवाड़ा में महिला नसबंदी शिविर की जानकारी देने प्रेमसिंह वासनिक के पास गई थी, वहाँ पर

नेत्र सहायक आरोपी कारुदास भीमटे बैठा था। उसे देखकर प्रेमसिंह वासनिक आदरपूर्वक खड़ा होना चाहता था, परन्तु आरोपी कारुदास भीमटे ने प्रेमसिंह से कहा कि तू क्यों खड़ा होता है, मेडम तेरी अधिकारी है क्या तब फरियादी ने आरोपी कारुदास से कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, तो आरोपी कारुदास बड़ी अधिकारी बनती है कहकर फरियादी को माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली देकर फरियादी के बांये गाल व पीठ पर दो-चार तमाचे मार दिया, जिसमें बीच-बचाव प्रेमसिंह वासनिक ने किया। आरोपी कारुदास भीमटे ने फरियादी को जान से खत्म करने की धमकी भी दिया, जिसके उपरांत फरियादी ने थाना परसवाड़ा में जाकर घटना की रिपोर्ट की, जिसे थाना परसवाड़ा के प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क0-95/15 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत धारा-294, 323, 506 भाग-दो भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.08.2015 को समय 1:30 बजे स्थान शासकीय अस्पताल परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान में फरियादिया श्रीमति सरोज ठाकुर को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सरोजबाई

को बाँये गाल एवं पीठ पर दो-चार तमाचे मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

4. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सरोजबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01

6. सरोज अ.सा.3 ने बताया है कि आरोपी उसे माँ-बहन, मादरचोद की गाली दे रहा था, किन्तु गाली सुनकर क्षोभ कारित होने के संबंध में साक्षी ने नहीं बताया है। प्रेमलाल अ.सा.01, संजय देशमुख अ.सा.02, अनुसुईया पटले अ.सा.04, सविता हिरवाने अ.सा.05 ने आरोपी द्वारा फरियादी को अश्लील गालियाँ दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। स्वयं फरियादी सरोज तथा साक्षियों ने गालियों की अश्लील प्रकृति के बारे में नहीं बताया है। धारा-292 भा0द0वि0 में अश्लीलता को बताया गया है जिसके अनुसार कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रंगचित्र, रेखाचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जायेगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, या उसका जहाँ उसमें दो या अधिक सुभिन्न मर्दें समाविष्ट हैं वहाँ उसकी मद का प्रभाव, समग्र रूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाये जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है।

7. सार्वजनिक स्थल पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अनिवार्य संघटको में से एक है। अश्लीलता की परख यह है कि क्या जिस बात पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उसकी प्रवृत्ति उन्हें दुराचारी और भ्रष्ट बनाने की है, जिसका मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है तथा जिनके कानों में ये शब्द पड़ सकते हैं पद अश्लीलता का उपयोग लैंगिक दुराचार तक निर्बन्धित है। अतः शब्द ऐसे

होने से जिनसे यौन इच्छायें और कामुक विचार उत्तेजित हो, केवल कामुक टिप्पणियाँ अश्लील कही जा सकती है।

8. न्यायदृष्टांत ओमप्रकाश विरुद्ध म०प्र०राज्य 1989 एम०पी०एल०जे० 657 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गालियों को शाब्दिक अर्थ नहीं दिया जा सकता। अश्लीलता की परख यह है कि क्या जिस बात पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उसकी प्रवृत्ति उन्हें दुराचारी और भ्रष्ट बनाने की है, जिसका मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। व्यक्ति की क्रुद्ध मानसिक अवस्था व्यक्त करने वाले मात्र सामान्योक्तियाँ भा०दं०सं० की धारा-294 के उपबंध आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अतः अशिष्ट गालियों मात्र से धारा-294 भा.दं.वि. के अधीन अपराध गठित नहीं होता। अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि आरोपी द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अश्लील प्रकृति के थे, किंतु फरियादी सरोज अ.सा.3 एवं साक्षियों ने भी यह नहीं बताये हैं कि आरोपी द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अश्लील प्रकृति के थे। फरियादी ने यह भी नहीं बताया है कि गालियाँ सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ था। फलतः उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी को लोकस्थान में अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02

9. सरोज ठाकुर अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना दिनांक 19.08.2015 को दिन के लगभग 1:00 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसवाड़ा की है। घटना दिनांक को परसवाड़ा अस्पताल में परिवार नियोजन शिविर लगा हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी उस पर थी। उक्त शिविर के सिल-सिले में वह प्रेमसिंह को शिविर में कार्य करने के लिये कहने

गई थी, वहीं पर आरोपी भी था। प्रेमसिंह उसे देखकर खड़ा होने लगा, तो आरोपी ने आपत्ति किया कि वह प्रेमसिंह की अधिकारी नहीं है, तब उसने आरोपी से कहा कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है, इस पर आरोपी ने उसे गाल पर तीन-चार तमाचे मार दिये, जब वह जाने लगी तो आरोपी ने उसे पीठ पर मारा। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने घटना देखा था। घटना के बाद उसने उच्च अधिकारियों को सूचित किया था और घटना की रिपोर्ट प्र.पी.02 थाना परसवाड़ा में की थी। पुलिस ने घटनास्थल के संबंध में मौका-नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था और उसका बयान लेखबद्ध किया था।

10. प्रेमलाल अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है, किन्तु घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान लेखबद्ध किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि दिनांक 19.08.2015 को करीब 1:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसवाड़ा में वह आरोपी के पास बैठा था और सरोज को देखकर खड़ा हो गया। इससे भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसे खड़े होने से मना किया था, तब सरोज ने उसे ऐसा क्यों कह रहे हो कहा था। इससे भी इंकार किया है कि इसी बात को लेकर आरोपी ने सरोज को गाल एवं पीठ पर मारा था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.01 का कथन देने से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11. संजय देशमुख अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी तथा आहत को जानता है। घटना लगभग एक सवा साल पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा की है। घटना के समय वह अपने काम से भादुकोटा गया था। उसे सरोज ठाकुर का फोन आया कि अस्पताल आ जाओ, तब वह अस्पताल गया था। सरोज ठाकुर ने उसे बताया कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की है। सरोज ठाकुर ने उसे थाने चलकर रिपोर्ट करने के लिये भी कहा, फिर वह उसके साथ थाना परसवाड़ा रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। प्रतिपरीक्षण में इस

साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। सरोज ठाकुर ने आरोपी द्वारा किस बात को लेकर मारपीट किया था यह नहीं बताया था। उसे सरोज ने जैसा बात बताया था वही बात उसने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था। इस प्रकार यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है, जिससे मारपीट के संबंध में साक्षी का कथन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है।

12. अनुसुईया पटले अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना दिनांक 19.08.2015 को दिन के लगभग 1:00 बजे परसवाड़ा अस्पताल की है। घटना दिनांक को अस्पताल में शिविर लगा हुआ था और वह हितग्राहियों को लेकर गई थी। लगभग 1:00 बजे शोर-गुल होने पर उसने देखा कि आरोपी फरियादी सरोज ठाकुर को चांटे मार रहा था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसने केवल आरोपी को मारते हुए देखा था। प्रतिपरीक्षण में बताया है कि सरोज ठाकुर उसकी अधिकारी है, किन्तु इससे इंकार किया है कि फरियादी सरोज ठाकुर के कहने पर वह झूठा बयान दे रही है तथा इससे भी इंकार किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी द्वारा फरियादी को चांटे मारने की घटना का समर्थन किया है।

13. सविता हिरवाने अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना दिनांक 19.08.2015 को दिन के लगभग 12-1:00 बजे परसवाड़ा अस्पताल की है। घटना दिनांक को अस्पताल में शिविर लगा हुआ था और वह हितग्राहियों के साथ केस लेकर वहाँ गई थी। करीब 1:00 बजे शोर-गुल होने पर उसने देखा कि आरोपी फरियादी सरोज ठाकुर को मार रहा था। उसने आरोपी को केवल मारते हुए देखा था। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि वह आशा कार्यकर्ता है, किन्तु उसके संबंध में उसने पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिया है। घटना दिनांक को वह परसवाड़ा अस्पताल ऑपरेशन का केस लेकर गई

थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि सरोज ठाकुर उसकी अधिकारी है, किन्तु इससे इंकार किया है कि फरियादी सरोज ठाकुर के कहने पर वह झूठा बयान दे रही है तथा इससे भी इंकार किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी द्वारा फरियादी को चांटे मारने की घटना का समर्थन किया है।

14. सरोज अ.सा.03 ने बताया है कि आरोपी ने उसके बांये गाल पर तीन-चार तमाचे मारे थे और पीठ पर भी मारा था। इस प्रकार साक्षी ने गाल एवं पीठ पर चोट होना बताया है। डॉ० वासु क्षत्रिय अ.सा.07 ने बताया है कि दिनांक 19.08.2015 को थाना परसवाड़ा के आरक्षक योगेश्वर द्वारा आहत सरोज ठाकुर पति राजेन्द्र रामटेके, उम्र-46 वर्ष को लाये जाने पर उसने आहत का मेडिकल परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसवाड़ा में किया था। आहत सरोज के बांये गाल में कंट्यूजन सूजन टेंडरनेस पांच गुणा पांच से.मी. था तथा चोट क्रमांक 02 आहत के बांये स्केपुलर रिजन में कंट्यूजन सूजन टेंडरनेस छः गुणा पांच से.मी. एवं चोट क्रमांक 03 आहत के ओंठ के नीचले हिस्से पर बाईं ओर खरोंच के निशान पांच गुणा पांच से.मी. मौजूद होना पाया था। उक्त चोट सामान्य प्रकृति का था, जो उसके परीक्षण से 2 से 5 घंटे के भीतर पहुँचाई गई थी। चोट क्रमांक 01 एवं 02 कठोर एवं बोथरे वस्तु से तथा चोट क्रमांक 03 कठोर एवं खुरदुरी वस्तु से आना संभव है। उसके द्वारा दिया गया मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.05 है।

15. जे.एल. वाघाड़े अ.सा.06 ने बताया है कि थाना परसवाड़ा में फरियादी सरोज ठाकुर द्वारा दर्ज कराये गये रिपोर्ट के विवेचना के दौरान दिनांक 19.08.2015 को उसने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था। विवेचना के दौरान फरियादी सरोज ठाकुर, प्रेमसिंह वासनिक, अनुसुईया पटले, सविता हिरवाने, अनिल कोपड़े, संजय देशमुख के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 21.08.2015 को आरोपी कारुदास भीमटे

को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र पेश किया गया था।

16. सरोज अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का आदेश है कि कर्मचारियों को मुख्यालय में ही रहना है। यह भी स्वीकार किया है कि वह मुख्यालय में नहीं रहती थी, जिसकी शिकायत आरोपी ने इस घटना के पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी को की थी, जिसके कारण उसके विरुद्ध मुख्यालय से बाहर रहने के संबंध में कार्यवाही हुई थी। प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा था कि लगभग 16,000/- रुपये नेत्र शिविर में खर्च किया है, उसे वापस दिलाया जावे, तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उससे कहा था कि आरोपी को कौन सा पैसा देना है, उसे देख लेना, किन्तु इससे इंकार किया है कि आरोपी का बिल का पेमेंट उसे करना था। इससे भी इंकार किया है कि उसने आरोपी से 5,000/- रुपये देने पर बिल निकलवाने की बात की थी। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके विरुद्ध पुलिस थाने में और उच्च अधिकारियों को इस आशय की शिकायत की थी कि उसने आरोपी से 5,000/- रुपये की अवैध मांग की थी। वह यह नहीं बता सकती कि दिनांक 25.05.2013 को आरोपी ने थाना परसवाड़ा में 5,000/- रुपये न देने के कारण झूठा आरोप में फसाने की शिकायत की थी। इस प्रकार साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आये कथन से यह स्पष्ट है कि घटना के पूर्व से फरियादी सरोज एवं आरोपी के मध्य रंजिश थी एवं जहाँ उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान हो वहाँ साक्षियों के कथन का विश्लेषण सूक्ष्मता से किया जाना चाहिए।

17. सरोज अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने पुलिस को केम्प की जिम्मेदारी अपने उपर होने वाली बात बता दी थी तथा शिविर के संबंध में प्रेमसिंह को शिविर में साथ रहने के लिये कहने वाली बात भी पुलिस

को बता दी थी। उक्त बात यदि उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं बयान प्र.पी.01 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इससे इंकार किया है कि घटना दिनांक को परसवाड़ा में नसबंदी का शिविर नहीं लगा था। स्वतः बताया है कि लगा था तथा इस साक्षी ने इससे भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी। इस प्रकार फरियादी सरोज के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तात्त्विक विरोधाभास या लोप नहीं है, जो साक्षी के कथन को अविश्वसनीय बनाता है।

18. फरियादी सरोज अ.सा.03 ने आरोपी द्वारा अपने बांये गाल पर तीन-चार तमाचे मारना बताया है, जिसकी पुष्टि डॉ० वासु क्षत्रिय अ.सा.07 ने की है। डॉ० वासु क्षत्रिय ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चोट क्रमांक 01 किसी भारी वस्तु या दीवाल से टकराने से आ सकती है, किन्तु आहत सरोज को इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि भारी वस्तु या दीवाल में टकराने से उसे चोट आई थी। डॉ० वासु क्षत्रिय ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि यदि घुसा मार दिया जाए तो हार्ड एण्ड ब्लंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, किन्तु हथेली हार्ड एण्ड ब्लंड ऑब्जेक्ट नहीं है। स्वतः बताया है कि यदि हथेली से जोर से प्रहार किया जाए तो ऐसी चोट आना संभव है, जिससे चिकित्सक को दिये गये सुझाव से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

19. सरोज अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने चिकित्सालय के चिकित्सक से कहकर अपने पक्ष में झूठी मेडिकल रिपोर्ट बना ली थी। यह स्वीकार किया है कि मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर आरोपी से नाराज थे और उन्होंने रिपोर्ट करने कहा था। स्वतः बताया है कि डॉक्टर आरोपी से नाराज नहीं थे। डॉ० वासु क्षत्रिय अ.सा.07 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पदस्थापना के दौरान आरोपी ने आई. केम्प कराया था, जिसका पैसा उसे विभाग से नहीं दिया गया था और आरोपी ने उसे बताया

था कि उसे पैसा नहीं मिला है, किन्तु उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी से फरियादी ने 5,000/- रुपये की मांग की थी। प्रतिपरीक्षण में इससे भी इंकार किया है कि आरोपी से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उसने सरोज ठाकुर को रिपोर्ट लिखाने के लिये उकसाया था और उसने आरोपी को फसाने के लिए झूठी रिपोर्ट दी थी। इससे भी इंकार किया है कि उसके द्वारा दिये गये प्र.पी.05 मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार फरियादी को कोई चोट नहीं आई थी। आरोपी की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट देने वाले चिकित्सक से व्यक्तिगत दुश्मनी को चिकित्सक वासु क्षत्रिय ने सुझाव में इंकार किया है तथा ऐसा तथ्य भी नहीं है कि डॉ० वासु क्षत्रिय और आरोपी की दुश्मनी थी। आरोपी ने अपने बचाव में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य भी पेश नहीं किया है कि डॉ० वासु क्षत्रिय के खिलाफ उसने पूर्व में कोई शिकायत की थी, जिससे बचाव पक्ष का यह सुझाव भी विश्वास योग्य नहीं है कि डॉ० वासु क्षत्रिय द्वारा फरियादी की झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई थी।

20. इस प्रकार फरियादी सरोज ने आरोपी द्वारा मारपीट करने की बात बताई है, जिसकी पुष्टि साक्षी अनुसुईया पटले अ.सा.04 और सविता हिरवाने अ.सा.05 ने भी किया है। आहत सरोज ने बांये गाल में चोट आना बताया है। आहत की चोट का समर्थन चिकित्सक साक्षी डॉक्टर वासु क्षत्रिय अ.सा.07 के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.-05 से होता है। साक्षीगण के कथन में कोई तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है। फलतः उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपी द्वारा फरियादी सरोज के साथ मारपीट की घटना प्रमाणित पाया जाता है, जहाँ अभियोजन के मामले का समर्थन चिकित्सक साक्षी के कथनों से होता है। आहत एवं साक्षीगण के कथन में कोई दुर्बलता न हो वहाँ भी अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत भावला बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी., 2005 (2) जे.एल. जे. 403 अवलोकनीय है।

21. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा फरियादी सरोज को चांटा मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया था। आहत के कथन से अथवा बचाव में ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के वशीभूत होते हुए अथवा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आरोपी ने फरियादी से मारपीट की थी। फलतः आरोपी द्वारा की गई घटना भी स्वेच्छया किया जाना प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03

22. सरोज ठाकुर अ.सा.3 ने बताया है कि आरोपी ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी प्रेमलाल अ.सा.01, संजय अ.सा.2, अनुसुईया अ.सा.04, सविता हिरवाने अ.सा.05 ने आरोपी द्वारा धमकी दिये जाने के बारे में नहीं बताये हैं। फरियादी सरोज अ.सा.3 ने यह नहीं बताया है कि वह आरोपी की धमकी को सुनकर भयभीत हो गई थी या उसे जान का भय पैदा हो गया था। फरियादी सरोज ने यह भी नहीं बताया है कि आरोपी ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपी का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त संबंध में **न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005 (2) पेज नं.152** अवलोकनीय है।

23. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19.08.2015 को समय 1:30 बजे स्थान शासकीय अस्पताल परसवाड़ा थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकस्थान में फरियादिया श्रीमति सरोज ठाकुर को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी सरोजबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः

आरोपी को धारा-294, 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, किन्तु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने फरियादी सरोज को बांये गाल एवं पीठ पर दो-चार तमाचे मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया किया। फलतः आरोपी को धारा-323 भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

पुनःश्च-

24. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है। फलतः दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहा है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है :-

क्र.	आरोपी का नाम	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
01	कारुदास भीमटे पिता लक्ष्मीचंद भीमटे, उम्र-46 वर्ष	323 भा.द.वि.	06 माह का सश्रम कारावास	500/- रुपये	15 दिवस का सश्रम कारावास

25. आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किया जाता है।

आरोपी जमानत पर है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताने हेतु जेल भेजा जावे।

26. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

27. आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा कर दिये जाने पर अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये (अंकन में पांच सौ रुपये) में से आहत सरोज पति राजेन्द्र रामटेके, उम्र-46 वर्ष, निवासी परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0 को राशि 500/- रुपये (अंकन में पांच सौ रुपये) अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर दिया जावे।

28. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही/-
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही/-
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)